

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

चौकलाल बनाम स्टेट

स्व वाद सं. 88 आर.टी.एक्ट नं. 64/18 सन् 2018

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/18	वकील वादी ने यह वाद पेश किया । वाद दर्ज रजिस्टर हो । प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 5.3.18 को पेश हो।	
5/3/18	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की ओर से पत्रावली राज उपस्थित TDR का रिपोर्ट लेने के लिए जाकर पत्रावली दिनांक 6/6/18 को पेश की।	
6/18	वकील वादी उपस्थित लक्ष्मी लक्ष्मी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआगार लक्ष्मी पत्रावली वास्तु रिपोर्ट दिनांक 26/6/18 को पेश की।	
26/18	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहू द्वारा कार्य में व्यस्त है पत्रावली दि० 10/5/18 को पेश हो।	
10/5/18	पत्रावली राजस्व लोडु उपस्थित लक्ष्मी रिपोर्ट लोडु में पेश हुई वादी वादी के अधिवक्ता के निवेदन किया की उपरवा नाम राजस्व रिपोर्ट राठी मोजा राठी की जांच की जाय सख्त 213/3 के धोरनाम दत्त के जवली राठी नाम लोडुवाले के लक्ष्मी नाम जय दत्त लोडु के लक्ष्मी नाम राजस्व रिपोर्ट में दत्त विभा जाय । पत्रावली के निवेदन का TDR नोहर से जोय पत्रावली जाय।	

~~आंध्र रिपोर्ट के अनुसार धार्मी का नाम रागराज सिन्हा से चारनराम के धार्मी के अन्य उल्लेख से धार्मी का नाम चोरलाल के चारनराम का चोरलाल का ही उल्लेख है धार्मी का नाम रागराज सिन्हा से चारनराम एवं चोरलाल संशोधन विभाग द्वारा चिपटे है धार्मी के द्वारा प्रस्तुत उल्लेख का 100% वेबेक अतिशय का आधार पर धार्मी का धार्मी पर खीसाव पर चारनराम सिन्हा से धार्मी का नाम चारनराम के लिए पर चारनराम एवं चोरलाल संशोधन विभाग द्वारा है इसी अनुसार आदेश जारी कर पत्रावली कायम करने है आदेश में द्वारा लिखवाया जाकर मसौदा मसौदा से सुनाया गया सिन्हा~~